अभय कुमार सिंह भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा दिनांक--09.07.2014 को पताही एवं फेनहारा प्रखंड, अंचल, बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालय का किए गये औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक–09.07.2014 को पताही एवं फेनहारा प्रखंड, अंचल, बाल विकास परियोजना एवं मनरेगा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्न प्रकार है :–

(A) अंचल कार्यालय, पताही

(1) **उपस्थिति पंजी** :– उपस्थिति पंजी के निरीक्षण के कम में अंचलाधिकारी, पताही के द्वारा बताया गया कि अंचल कार्यालय में एक कार्यालय परिचारी, श्री दुलारचन्द राम पदस्थापित थे, निर्वाचन के समय उनकी प्रतिनियुक्ति एन0आई0सी0, मोतिहारी में की गई है। फलस्वरूप अंचल कार्यालय के सरकारी पत्रों को तामिला कराने में कठिनाई हो रही है। उनके द्वारा अंचल कार्यालय में एक कार्यालय परिचारी की पदस्थापना करने का अनुरोध किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण को निदेश दिया गया कि अंचल कार्यालय में एक कार्यालय परिचारी की पदस्थापना हेतु प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन--नजारत उप समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण)

(2) **माननीय उच्च्य न्यायालय से संबंधित पंजी** :– अंचल कार्यालय में माननीय उच्च्य से संबंधित पंजी तैयार किया गया है परन्तु इस कार्यालय में लम्बित सी0डब्लू0जे0सी0 एवं एम0जे0सी0 से संबंधित वाद की संख्या शून्य पाया गया।

(3) **जन शिकायत पंजी** :– निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अंचल कार्यालय में जन शिकायत से संबंधित सभी पंजियॉ संधारित की गई हैं। अंचल कार्यालय में जन शिकायत से संबंधित 04 वाद लम्बित पाये गये। एक मामला जो श्री जगदीश राम, राजस्व कर्मचारी से संबंधित है, का संचिका का अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि उक्त कर्मचारी के पेंशन निर्धारण का मामला महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा गया है।

(4) **लोक सूचना का अधिकार अधिनियम** :– इस कार्यालय में आर0टी0पी0एस0 से संबंधित पंजी विहित प्रपत्र में संधारित किया गया है। अंचल कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के पश्चात लम्बित पत्रों की संख्या शून्य है।

(5) **बेदखली एवं अतिकमणवाद से संबंधित पंजी** :– अंचल कार्यालय में बेदखली एवं अतिकमणवाद से संबंधित पंजी संधारित किया गया है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला राजस्व शाखा से सम्पर्क स्थापित कर पंजी को अद्यतन कराना सुनिश्चित करें।

(B) प्रखंड कार्यालय, पताही

(1) **रोकड़ बही** :– प्रखंड नाजिर के अवकाश में रहने के कारण रोकड़ बही का निरीक्षण नहीं किया जा सका। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल के द्वारा बताया गया कि प्रखंड के रोकड़ बही की जॉच उनके द्वारा किया गया है। रोकड़ बही अद्यतन है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में राशि की मॉग के लिए जिला कार्यालय को अधियाचना–पत्र भेजी गई है। जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–जिला कार्यकम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पूर्वी चम्पारण)

(2) **माननीय उच्च्य न्यायालय से संबंधित पंजी** :– प्रखंड कार्यालय में माननीय उच्च्य न्यायालय से संबंधित पंजी तैयार किया गया है। इस कार्यालय में माननीय उच्च्य न्यायालय से संबंधित दो वाद लम्बित है, जिसमें तथ्य विवरणी तैयार कर जिला कार्यालय को भेजा जा रहा है।

(प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मोतिहारी / प्र0वि0पदा0, पताही)

(3) **जन शिकायत पंजी** :– निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिला पदाधिकारी के जनता दरबार का

आवेदन–पत्र कम चढ़ाया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसे दिनांक–15.07.2014 तक अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी, पताही)

(4) **लोक सूचना का अधिकार अधिनियम** :– इस कार्यालय में लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पंजी का संधारण किया गया है। आर0टी0पी0एस0 पंजी पर प्रतिदिन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पताही के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है, जिससे पंजी के संधारण का प्रायोजन विफल होता जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसे प्रतिदिन हस्ताक्षरित करना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में एक मामला लम्बित दिखाया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसे शीध्र निष्पादित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी, पताही)

(5) **सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना** :– क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सामाजिक, जातीय एवं आर्थिक जनगणना के कतिपय ई0बी0 से संबंधित डाटा अभीतक प्रकाशित नहीं हो पाया है, जिसके कारण यह पता लगाना संभव नहीं हो पा रहा है कि लाभार्थी का नाम सामाजिक, जातीय एवं आर्थिक जनगणना में है या नहीं। इसकी वजह से लाभार्थी को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। प्रभारी पदाधिकारी, सामाजिक, जातीय एवं आर्थिक जनगणना को निदेश दिया जाता है कि वे इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई शीघ्र करें।

(अनुपालन–प्रभारी पदाधिकारी, सामाजिक, जातीय एवं आर्थिक जनगणना, मोतिहारी)

(C) **कार्यकम पदाधिकारी का कार्यालय, पताही**

(1) **उपस्थिति पंजी** :– उपस्थिति पंजी के निरीक्षण के कम में पाया गया कि श्री प्रमोद कुमार सिंह, कनीय अभियंता जो हाल ही में स्थानान्तरित होकर योगदान दिए हैं, दिनांक–8.7.2014 से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। अतः उनका दिनांक–8.7.2014 से 9.7.2014 तक, दो दिनों का मानदेय/वेतन कटौती करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर दिनांक–15.7.2014 तक जिला गोपनीय प्रशाखा में भेजने का निदेश कार्यकम पदाधिकारी, मनरेगा, पताही को दिया गया।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/कार्यकम पदाधिकारी, मनरेगा, पताही)

(2) **रोकड़ बही** :– मनरेगा कार्यालय के रोकड़ बही का निरीक्षण किया गया। रोकड़ बही दिनांक–5.6.2014 तक लिखा गया है। कार्यकम पदाधिकारी, मनरेगा, पताही को इसे अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

कार्यकम पदाधिकारी, मनरेगा, पताही से लम्बित योजनाओं की सूची की मॉग की गई परन्तु उनके द्वारा यह सूची उपस्थापित नहीं किया गया। उन्हें निदेश दिया गया कि यह सूची दिनांक–10.7.2014 को जिला गोपनीय शाखा में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–कार्यकम पदाधिकारी, मनरेगा, पताही)

(D) **बाल विकास परियोजना कार्यालय, पताही**

(1) **उपस्थिति पंजी** :– बाल विकास परियोजना कार्यालय के उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती मनीषा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका दिनांक–8.7.2014 से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। अतः उनका दिनांक–8.7.2014 से 9.7.2014 तक, दो दिनों का वेतन कटौती करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर दिनांक–15.7.2014 तक जिला गोपनीय प्रशाखा में भेजने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पताही को दिया गया।

माह–जून के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि एक ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविका का मानदेय कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य केन्द्र पर मानदेय/वेतन कटौती या अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। यह अत्यन्त ही खेदजनक है जबकि आई0सी0डी0एस0 की योजनाओं के कियान्वयन को ठीक कराने का निदेश दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति

में किसी भी महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा किसी भी केन्द्र पर मानदेय/वेतन कटौती या अनुशासनिक कार्रवाई का प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाना खेदजनक है। इससे स्पष्ट होता है कि पताही प्रखंड में आई0सी0डी0एस0 की योजनाओं का संचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पताही इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे। साथ ही, सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य के साथ दिनांक–15.7.2014 तक भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पताही)

(E) **अंचल कार्यालय, फेनहारा**

(1) **उपस्थिति पंजी** :– अंचल कार्यालय के उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में श्री अभिषेक कुमार, सहायक बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित पाये गये। निरीक्षण के दौरान उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी बताया गया कि ये हमेशा कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। अतः इनका दिनांक–9.7.2014 का, एक दिन का वेतन कटौती करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर दिनांक–15.7.2014 तक भेजने का निदेश अंचलाधिकारी, फेनहारा को दिया गया।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, फेनहारा)

(2) **रोकड़ बही** :– अंचल कार्यालय का रोकड़ बही दिनांक–30.6.2014 तक लिखा गया है परन्तु रोकड़ बही में बैंक रिकंसिलेशन की विवरणी अंकित नहीं किया गया है। दिनांक–31.3.2014 को भी रोकड़ बही में बैंक रिकंसिलेशन किया गया है परन्तु बैंक खाता नं0–रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल)

(3) **माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी** :– माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी की मॉग करने पर अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी संधारित किया गया है परन्तु यह अभिषेक कुमार के जिम्मे है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि श्री अभिषेक कुमार से सभी प्रभार हटाकर किसी दूसरे लिपिक को दिया जाय। अंचलाधिकारी के द्वारा यह भी बताया गया कि अंचल कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित एक वाद लम्बित है, जिसमें तथ्य विवरणी तैयार कर लिया गया है।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, फेनहारा)

(4) **जन शिकायत पंजी** :– जन शिकायत पंजी के निरीक्षण के कम में पाया गया कि जिला पदाधिकारी के जनता दरबार से 06 आवेदन–पत्र प्राप्त है, जिसका निष्पादन नहीं हो सका है। अंचलाधिकारी को साप्ताहिक बैठक में इसका निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से संबंधित पंजी में एक भी पत्र नहीं दर्शाया गया है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के स्तर से एक भी परिवाद–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(अनुपालन–अंचलाधिकारी, फेनहारा)

(F) **प्रखंड कार्यालय, फेनहारा**

(1) **उपस्थिति पंजी** :– प्रखंड कार्यालय के उपस्थिति पंजी के निरीक्षण के कम में पाया गया कि श्री राजीव रंजन, इन्दिरा आवास पर्यवेक्षक दिनांक–8.7.2014 से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। अतः उनका दिनांक–8.7.2014 एवं 9.7.2014, दो दिनों का मानदेय कटौती करते हुए कारण पृच्छा प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ दिनांक–15.7.2014 तक भेजने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा)

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री गणेश राउत, पंचायत सेवक दिनांक–4.7.2014 से लगातार अनुपस्थित हैं। अतः उनका दिनांक–4.7.2014 से 9.7.2014 तक का वेतन कटौती करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर जिला पंचायत राज कार्यालय को भेजने का निदेश प्र0वि0पदा0 को दिया गया।

(अनुपालन–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/प्र0वि0पदा0, फेनहारा)

(2) **माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी** :– प्रखंड कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित पंजी तैयार किया गया है। इस कार्यालय में माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित दो वाद लम्बित दिखाया गया है। एक वाद श्री हरेन्द्र किशोर यादव से संबंधित है, के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करा लिया गया है। एक वाद जो रहमत आरा से संबंधित है, में तथ्य विवरणी तैयार कर जिला कार्यालय को दिनांक–12.7.2014 तक भेजने का निदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा को दिया गया।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा)

(3) **जन शिकायत पंजी** :– संबंधित लिपिक के अवकाश में होने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जन शिकायत से संबंधित पंजी उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसे दिनांक–10.7.2014 तक जिला गोपनीय शाखा में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा)

(4) **लोक सूचना का अधिकार अधिनियम** :– इस कार्यालय में लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के पश्चात पेंशन मद में 13 एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मद में 07 आवेदन–पत्र लम्बित पाये गये। प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसे अविलम्ब निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–प्रखंड विकास पदाधिकारी, फेनहारा)

(G) **बाल विकास परियोजना कार्यालय, फेनहारा**

(1) **रोकड़ बही** :– बाल विकास परियोजना कार्यालय का रोकड़ बही दिनांक–4.6.2014 तक लिखा गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को इसे अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फेनहारा)

(2) माह–जून के खाद्यान्न वितरण की समीक्षा के क्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में मानदेय कटौती एवं अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।

(G) **मनरेगा कार्यालय, फेनहारा**

(1) **रोकड़ बही** : मनरेगा कार्यालय, फेनहारा का रोकड़ पंजी दिनांक–31.5.2014 तक लिखा गया है। कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, फेनहारा को इसे अद्यतन करने का निदेश दिया।

(अनुपालन–कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, फेनहारा)

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।

ज्ञाप संख्या–1383 /गो0 मोतिहारी, दिनांक– 16 वीं जुलाई, 2014

प्रतिलिपि– प्रखंड विकास पदाधिकारी, पताही/फेनहारा/अंचलाधिकारी, पताही/फेनहारा/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पताही/फेनहारा/कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, पताही/फेनहारा/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल/प्रभारी पदाधिकारी, सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना, मोतिहारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मोतिहारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण/अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।